न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 26/2021

ओमप्रकाश पुत्र तुलाराम जाति ब्राह्मण निवासी कठौल तहसील पहाडी।

प्रार्थी

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी जिला भरतपुर
2. श्रीमान सहायक अभियन्ता महकमा इंजीनियरिंग सिचांई विभाग कामाँ तहसील कामाँ

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 व 136 एल0आर0 एक्ट

उपस्थित :– श्री प्रहलाद सिंह वकील प्रार्थी

दिनांक :– 05/08/2021

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 व 136 एलआर एक्ट के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 1197/0.25, 1198/0.34, 1199/0.01, 1265/0.06, 1266/0.08, 1267/0.20, किता 6 रकबा 0.94 हैक्टर बांके ग्राम कठौल तहसील पहाडी में स्थित है। उक्त नम्बरो का प्रार्थी खातेदार काबिज काश्त है। उक्त नम्बरो का साविक खसरा नम्बर 1039 मिन था। आराजी खसरा नम्बर 1196/0.09 चाही प्रथम, 1270/0.30 बंजड, 1271/0.22 बंजड बांके ग्राम कठौल में स्थित है। सैटलमेन्ट विभाग ने नये नक्शा बनाते समय भारी भूल की है। प्रार्थी खसरा नम्बर 1198/0.34 को नये नक्शे में प्रार्थी की कब्जे काश्त के विरूद्ध दर्शाया है। खसरा नम्बर 1198 की उत्तरी दिशा की मेड को गलत दर्शाया है। जिसे दुरूस्त किया जावे। सैटलमेन्ट विभाग ने खसरा नम्बर 1196/0.09, 1270/0.30, 1271/0.22 को भी गलत जगह पर दर्शाया जाकर भारी भूल की है। सैटलमेन्ट विभाग ने उक्त नम्बरान को नक्शे में प्रार्थी की खातेदारी व रोड के बीच में गलत दर्शाया है। जबकि मौके पर प्रार्थी की आराजी व रोड के बीच अन्य कोई आराजी नहीं है। सैटलमेन्ट विभाग द्वारा दर्शाई गई आराजी खसरा नम्बर 1198, 1270, 1271, को प्रार्थी के खातेदारी की आराजी व रोड के बीच दर्शाकर भारी भूल की है। जिसकी दुरूस्ती नक्शा में किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 से दुरूस्ती बाबत कहा तो तो अप्रार्थी ने मना कर

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

दिया । लिहाजा यह प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान के समक्ष पेश किया जा रहा है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चाही गई सैटलमेन्ट के नक्शे में दुरूस्ती की जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थी संख्या 2 बाबजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं आये इनके विरूद्ध दिनांक 09/07/2021 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 1 ने दिनांक 29/06/2021 को उपस्थित न्यायालय होकर जबाब इस आशय का पेश किया किआराजी खसरा नम्बर 1197/0.25, 1198/0.34, 1199/0.01, 1265/0.06, 1266/0.08, 1267/0.20 किता 6 रकबा 0.94 वांके ग्राम कठौल में स्थित हैं। जिस पर प्रार्थी काबिज खातेदार काश्तकार है। आराजी खसरा नम्बर 1196/0.09 महकमा इंजीनियरिंग सिचांई विभाग एवं आराजी खसरा नम्बर 1270/0.30 एवं 1271/0.22 चारागाह दर्ज रिकॉर्ड है।आराजी खसरा नम्बर 1198 की उत्तरी दिशा की मेड़ को एल आकृतिनुमा दर्शाया गया है। जबकि मौके पर उत्तरी दिशा में मेड़ सीधी है।

प्रार्थना पत्र के संबंध में तहसीलदार पहाडी को मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई है। तहसीलदार पहाडी ने अपनी मौका रिपोर्ट में अवगत कराया है कि आराजी खसरा नम्बर 1197/0.25, 1198/0.34, 1199/0.01, 1265/0.06, 1266/0.08, 1267/0.20, ओमप्रकाश पुत्र तुलाराम जाति ब्राह्मण निवासी कठौल खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। खसरा नम्बर 1265 में प्रार्थी खातेदार का कच्चा–पक्का मकान बना हुआ है जिसमें प्रार्थी मौके पर सपरिवार निवास कर रहा है। खसरा नम्बर 1198 में प्रार्थी का आंशिक कब्जा करीब आधे हिस्से पर है तथा शेष खसरा नम्बरान 1197, 1199, 1265, 1266, के पूरे रकबे पर प्रार्थी का कब्जा काश्त है । इसी प्रकार खसरा नम्बर 1196 सालिम पर तथा खसरा नम्बर 1270, 1271, के आंशिक हिस्से पर प्रार्थी का कब्जा काश्त पाया गया जो मौके पर जोत मेज लगे हुये है। खसरा नम्बर 1196 व उसके आस पास कोई नहर या नाली नहीं है। मौजूदा ग्राम वालो ने बताया कि यहाँ कभी कोई नहर नाली नहीं रही है । नहर सडक के दूसरी तरफ है जो आज भी मौके पर मौजूद है। खसरा नम्बर 1270, 1273 का पुराने नक्शे से तुलात्मक मिलान किया गया जो मेल नहीं खाता है। इन खसरा नम्बरो के पुराने खसरा नम्बर 1071, 1072, चारागाह में नुकीली नोक की आकृति नहीं है तथा इनकी उत्तरी सीमा प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 1267 की दक्षिण दिशा की डौल के समान्तर है तथा भिडी हुई है।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

आमरुका 2021/256

...वर्क मिसल राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाड़ी (भरतपुर) राज0 02/8/21

किस्म...	तारीख फैसला	तदाद वर्क	वर्गीकरण

(11)

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराया।

हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड, जबाब/मौका रिपोर्ट तहसीलदार का गहनता से अध्ययन किया गया। प्रार्थी ने उक्त प्रार्थाना पत्र बंदोबस्त विभाग द्वारा दर्शित आराजी ख0नं0 1196/0.09, 1270/0.30 एवं 1271/0.22 पर कब्जे के आधार पर दुरस्ती का अनुतोष चाहा गया है। प्रार्थी की आराजी एवं आराजी ख0 नं0 1196/0.09 को साविक खसरा सं0–1039 से बंदोबस्त विभाग द्वारा निर्मित किये गये है। जबकि 1270/0.30 एवं 1271/0.22 को साविक खसरा सं0 1071 एवं 1072 से निर्मित किये गये है। साविक खसरा सं0–1039 से अन्य नये खसरों का भी बंदोबस्त विभाग द्वारा निर्माण किया गया है। जिनके खातेदारों को प्रार्थी ने प्रार्थाना पत्र में पक्षकारान नहीं बनाया गया है। प्रार्थी की बंदोबस्त कार्यवाही से पूर्व भी 0.94 है0 भूमि थी एवं आज भी 1196/0.09, 1270/0.30 एवं 1271/0.22 को छोडकर भी 0.94 है0 भूमि ही बंदोबस्त विभाग द्वारा रिकॉर्ड एवं नक्शा में दर्शायी गई है। प्रार्थी की भूमि में कोई कमी बेशी नहीं हुई है। खसरा सं0 1196/0.09 मुहकमा इंजीनियरिंग सिंचाई विभाग के नाम दर्ज है एवं 1270/0.30, 1271/0.22 चारागाह भूमि है। प्रार्थी ने इन खसरा सं0 को समाप्त करने का अनुतोष चाहा गया है। अगर ऐसा किया जाता है तो चारागाह भूमि एवं गांव की कुल देह में परिवर्तन आयेगा। साथ ही प्रार्थी के रकबे में भी कोई कमी–बेशी नहीं है। ना ही प्रार्थी ने रकबा बरारी के आधार पर नक्शे में कोई कमी बताई है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थाना–पत्र साक्ष्य के आधार पर सिद्व नहीं हो पाता है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थाना–पत्र भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अंतर्गत संधारणीय नहीं हैं। अतः प्रार्थाना–पत्र खारिज योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :–

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 128, 111 व 136 एल0आर0 एक्ट खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 05/08/2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner